भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 813

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

813. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उप-केन्द्रों में पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों की 66 प्रतिशत कमी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञों की 79.5 प्रतिशत कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) हेतु पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के संबंध में कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में अवसंरचना संबंधी कमियों को किस प्रकार दूर करने की योजना बना रही है, जहां उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी एचसी) में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के आबंटन में वृद्धि होने के बावजूद कमी बनी हुई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों की भर्ती सहित जन-स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में अवसंरचना अंतरालों को पाटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रदान करती है। इसका विवरण पब्लिक डोमेन https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 पर उपलब्ध है।

एनएचएम के तहत, देश के ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए डाक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना आकर्षक समझें।

- स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट / लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएएस) को मानदेय और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र में सिजेरियन सेक्शन आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया।

- डाक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकार्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलाप हेतु प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन।

- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए सहमति से तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।

- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत स्टाफ के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसी गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किया गया है।

- विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों को बहु-कौशल सहायता दी जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में अवसंरचना अंतरालों को पाटने के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की हैं:

· **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** में i) रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण ii) जिला स्तर के अस्पतालों में क्रिटिकल केयर से संबंधित नए बिस्तरों की वृद्धि; (iii) अधिक ध्यान दिए जाने वाले 11 राज्यों में ब्लॉक जन स्वास्थ्य एककों (बीपीएचयू) के लिए सहायता; (iv) सभी जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में संवर्धित निवेश की परिकल्पना की गई है।।

- **पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV)** ने जमीनी स्तर पर स्वास्थय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण को सुकर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के विषिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदानों की सिफाारिश की है।

*****